



BANK

सामान्य जागरूकता, बैंकिंग ज्ञान और कंप्यूटर

सभी बैंकिंग परीक्षाओं के लिए

विषयसूची

S No.	Chapter Title	Page No.
1	भारत में बैंकिंग और इसका विकास	1
2	भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)	4
3	भारत में बैंकिंग प्रणाली	12
4	बैंक के प्रमुख कार्य	19
5	बैंकिंग प्रणाली से संबंधित विभिन्न अधिनियम	28
6	बैंकिंग से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाएं	31
7	बजट	43
8	कराधान	46
9	नाबार्ड और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	49
10	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) और इसके उत्पाद	52
11	भारतीय बैंकिंग प्रणाली में ऋण सुविधा	55
12	वित्तीय बाजार	61
13	मौद्रिक नीति	74
14	विदेशी व्यापार	81
15	क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ	85
16	महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान	89
17	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs)	91
18	लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक	95
19	वित्तीय समावेशन और बेसल मानदंड	100
20	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL)	108
21	बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम	113
22	मुद्रा और मुद्रास्फीति	117
23	बैंकिंग से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएँ	126

विषयसूची

S No.	Chapter Title	Page No.
24	बैंकिंग से संबंधित महत्वपूर्ण संक्षिप्त रूप	133
25	राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस	139
26	राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार	142
27	विभिन्न देशों की राजधानी एवं मुद्रा	148
28	भारत के संरक्षित क्षेत्र	150
29	भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम	156
30	भारत का रक्षा कार्यक्रम	161
31	भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान	170
32	कंप्यूटर का सामान्य परिचय	174
33	कंप्यूटर का विकास एवं इतिहास	181
34	कंप्यूटर की संरचना	185
35	कंप्यूटर भाषा	201
36	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	205
37	कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट	216
38	कंप्यूटर सिक्युरिटी	240
39	ई – गवर्नेंस तथा ई कामर्स	247

भारत में बैंकिंग और इसका विकास

बैंक: बैंक एक वित्तीय संस्थान है जो जनता से जमा स्वीकार करता है और विभिन्न ब्याज दरों पर पैसे उधार देता है।

- भारत में बैंकिंग गतिविधियाँ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 (पूर्व नाम बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1949) के तहत नियंत्रित होती हैं।
- बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के अनुसार बैंकिंग को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: उधार देने और निवेश के उद्देश्य से जनता से जमा स्वीकार करना जिसका मांग पर या अन्यथा पुनर्भुगतान किया जा सकता हो और जिसे चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्य किसी तरीके से निकाला जा सकता है।

भारत में बैंकिंग का इतिहास

- आधुनिक बैंकों की उत्पत्ति 1157 में इटली में वेनिस बैंक की स्थापना के साथ मानी जाती है।
 - ✓ 1407 ईस्वी: बार्सिलोना बैंक
 - ✓ 1407 ईस्वी: जिनोवा बैंक
 - ✓ 1694 ईस्वी: इंग्लैंड बैंक।
- **भारत में बैंकिंग के विकास के चरण**
 - ✓ भारत में बैंकिंग का इतिहास तीन प्रमुख चरणों में बांटा गया है:
 1. स्वतंत्रता से पहले का चरण (1947 से पहले)
 2. स्वतंत्रता के बाद का चरण (1947-1991)
 3. उदारीकरण का चरण (1991 और इसके बाद)

स्वतंत्रता से पूर्व काल (1947 से पहले)

- भारत में 600 से अधिक बैंक थे।
- **भारत का पहला बैंक:** भारत का पहला बैंक 1770 में कलकत्ता में "बैंक ऑफ हिंदुस्तान" के नाम से स्थापित हुआ था। यह बैंक पूरी तरह से बैंकिंग प्रणाली पर आधारित था और इसे एलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था।

- **तीन प्रेसिडेंसी बैंक:** ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों को ध्यान में रखते हुए निजी शेयरधारकों ने भारत में तीन प्रेसिडेंसी बैंक स्थापित किए थे।
- तीनों बैंक सरकार के नियंत्रण में थे और 1862 ईस्वी में उन्हें मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार दिया गया था।
 - ✓ बैंक ऑफ बंगाल – 1806 ईस्वी
 - ✓ बैंक ऑफ बॉम्बे – 1840 ईस्वी
 - ✓ बैंक ऑफ मद्रास – 1843 ईस्वी
- 1921 में इन तीनों बैंकों का विलय करके "इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया" बना दिया गया जो बाद में 1955 में "भारतीय स्टेट बैंक" के रूप में स्थापित हुआ।

भारत में स्थापित महत्वपूर्ण बैंक:

- **ऊधु कमर्शियल बैंक, 1881 ईस्वी:** यह भारत का पहला बैंक था जिसे भारतीयों द्वारा सीमित जिम्मेदारी के आधार पर चलाया गया।
- **इलाहाबाद बैंक, 1865:** यह भारत का पहला वह बैंक था जिसे पूरी तरह से भारतीयों द्वारा स्थापित और प्रबंधित किया गया।
- **पंजाब नेशनल बैंक: 1894**
- **बैंक ऑफ इंडिया: 1906**
- **बैंक ऑफ बड़ौदा: 1908**
- **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया: 1911**

स्वतंत्रता के बाद का काल (1947-1991)

- स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 को लागू किया। इस कानून के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को केंद्रीय बैंकिंग प्राधिकरण के रूप में कार्य करने का अधिकार प्राप्त हुआ जो भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की निगरानी और नियमन के लिए जिम्मेदार था।

- 1955 में उस समय के सबसे बड़े बैंक, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसे भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का नाम दिया गया। इसके बाद 1959 में इसके ढांचे के तहत सात सहयोगी बैंकों की स्थापना की गई।
- स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर और जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर को भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 के तहत गठित किया गया।
- 1 फरवरी, 1969 को सरकार ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में अतिरिक्त प्रावधानों को जोड़ा जिससे बैंकों पर उसके नियंत्रण और नियामक प्राधिकरण को और मजबूत किया गया।
- 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सरकार ने 14 प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया।
- 1980 में छह और बैंकों को सरकारी स्वामित्व में लिया गया और उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों का दर्जा दिया गया।
- 1982 और 1990 के बीच भारत में चार नए वित्तीय संस्थान स्थापित किए गए:
 - ✓ निर्यात-आयात बैंक ऑफ इंडिया (एग्जिम बैंक)
 - ✓ नेशनल हाउसिंग बैंक
 - ✓ कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड)
 - ✓ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)
- भारत में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत 1988 में हुई जब भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में बैंकों के कम्प्यूटरीकरण पर एक समिति का गठन किया।
- इसके बाद भारत में बैंकों के कार्य करने के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया — MICR आधारित चेक प्रोसेसिंग से लेकर ATM, ई-बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और अंततः "कहीं भी बैंकिंग" के विचार तक।
- 1991 में लागू उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) नीति ने निजी संस्थाओं को बैंकों की स्थापना और संचालन की अनुमति दी। समय के साथ ब्याज दरों को धीरे-धीरे मुक्त किया गया।

- 1998 में बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के लिए नरसिंह समिति का गठन किया गया। इस समिति ने बैंकों को अधिक स्वायत्तता देने, चार-स्तरीय बैंकिंग संरचना का परिचय देने, पूंजी पर्याप्तता मानकों को बढ़ाने और विदेशी बैंकों के प्रवेश की अनुमति देने की सिफारिश की। हालांकि सभी सिफारिशें तुरंत लागू नहीं की गईं लेकिन फिर भी इस समिति द्वारा अनुशंसित सिफारिशें भारत के बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों की दृष्टि से मील का पत्थर सिद्ध हुईं।

लीड बैंक योजना (LBS)

- इसे 1969 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू किया गया था।
- इसे निम्नलिखित समितियों की सिफारिशों पर पेश किया गया था:
 - ✓ गाडगिल अध्ययन समूह
 - ✓ नरीमन समिति
- इन समितियों ने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएँ अपर्याप्त थीं और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक समन्वित प्रयास की आवश्यकता थी।

सुधार

- 2009 में, भारत सरकार ने उषा थोराट (पूर्व RBI डिप्टी-गवर्नर) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य LBS में सुधार के लिए सिफारिशें करना था।

2008 से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का समेकन

- **2008:** भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने सहायक बैंक स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का अधिग्रहण किया।
- **2010:** SBI ने स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का अधिग्रहण किया।
- **2017:** SBI ने पांच सहायक बैंकों के साथ विलय किया:
 1. स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर और जयपुर
 2. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
 3. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
 4. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
 5. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर
- ✓ अप्रैल 2017 में भारतीय महिला बैंक का भी SBI में विलय हो गया।

- **2019: देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा** के साथ विलय हुआ।
- **2020:**
 - ✓ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय हुआ।
 - ✓ सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक के साथ विलय हुआ।
 - ✓ आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ विलय हुआ।
 - ✓ इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक के साथ विलय हुआ।

स्मरणीय तथ्य:

- केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया (CBI) भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक था जिसने क्रेडिट कार्ड पेश किया।
- केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक था जिसे भारतीयों द्वारा प्रबंधित किया गया।
- ICICI बैंक भारत का पहला बैंक था जिसने मोबाइल ATM प्रस्तुत किया।
- बैंक ऑफ बड़ौदा के पास भारतीय बैंकों में सबसे अधिक विदेशी शाखाएं हैं।
- भारत का पहला "टॉकिंग" एटीएम (जो नेत्रहीन ग्राहकों के लिए डिज़ाइन किया गया) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अहमदाबाद, गुजरात में लॉन्च किया था।
- नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने भारत का पहला ग्रामीण बैंक एटीएम कार्ड वाराणसी में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ मिलकर प्रस्तुत किया।
- भारत का ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला बैंक केनरा बैंक था।
- पंजाब नेशनल बैंक (PNB) भारत का पहला बैंक था जिसे पूरी तरह से भारतीय पूंजी से स्थापित किया गया। इसके संस्थापक लाला लाजपत राय थे।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना 1935 में हुई थी।
- RBI के पहले गवर्नर सर ऑस्बर्न स्मिथ थे।
- RBI के पहले भारतीय गवर्नर C. D. देशमुख थे।
- भारत में 1833 में पहला सावधि खाता शुरू करने वाला बैंक प्रेसिडेंसी बैंक था।

- भारत में 1833 में चेक प्रणाली शुरू करने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ बंगाल था।
- ICICI बैंक भारत का पहला बैंक था जिसने इंटरनेट बैंकिंग पेश की।
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) भारत का पहला बैंक था जिसने म्यूचुअल फंड सेवाएं शुरू की।
- भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है।
- भारत में पहला क्रेडिट कार्ड प्रस्तुत करने वाला बैंक केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया था।
- क्रेडिट कार्ड को आमतौर पर "प्लास्टिक मनी" के रूप में जाना जाता है।
- ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) का संचालन भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) करता है।
- भारत का पहला वित्तीय अभिलेखागार कोलकाता में स्थापित किया गया था।
- प्रमुख नीतिगत दरों और अनुपातों (CRR, SLR, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर आदि) का निर्धारण RBI करता है।
- सावधि खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट और ऋण पर ब्याज दरें व्यक्तिगत बैंकों द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
- HDFC बैंक ने वोडाफोन के M-Pesa सेवा के सहयोग से मोबाइल बैंक खाता लॉन्च किया।
- भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) है।
- भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक ICICI बैंक है।
- भारत में काम करने वाला सबसे बड़ा विदेशी बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है।
- बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला बैंक था जिसने विदेश में शाखा खोली और उसने 1946 में लंदन में अपनी शाखा स्थापित की।
- भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB), जिसका नाम प्रथम ग्रामीण बैंक था, सिंडिकेट बैंक द्वारा स्थापित किया गया था।
- भारत में पहला ATM HSBC ने 1987 में मुंबई में लगाया था।
- भारत में पूंजी बाजार का नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

भारतीय रिज़र्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक, मुद्रा आपूर्ति, प्रसार और ऋण पर नियंत्रण करता है, मौद्रिक और उधारी नीतियों के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है, और बैंक का बैंक, अंतिम आश्रय बैंक, और सरकार का बैंक के रूप में कार्य करता है।

स्थापना

- **स्थापना:** 1 अप्रैल, 1935
- **कानून:** रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934
- **स्थान:** प्रारंभ में कलकत्ता (1935); स्थायी रूप से 1937 में मुंबई स्थानांतरित
- **स्वामित्व:** प्रारंभ में निजी स्वामित्व में; 1949 में राष्ट्रीयकरण, अब पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में
- **सिफारिश:** हिल्टन-यंग आयोग (1926–27) द्वारा गठित
- **पहला गवर्नर:** सर ऑस्बर्न स्मिथ (1935–1937)
- **राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर:** C.D. देशमुख (1949)

RBI के उद्देश्य

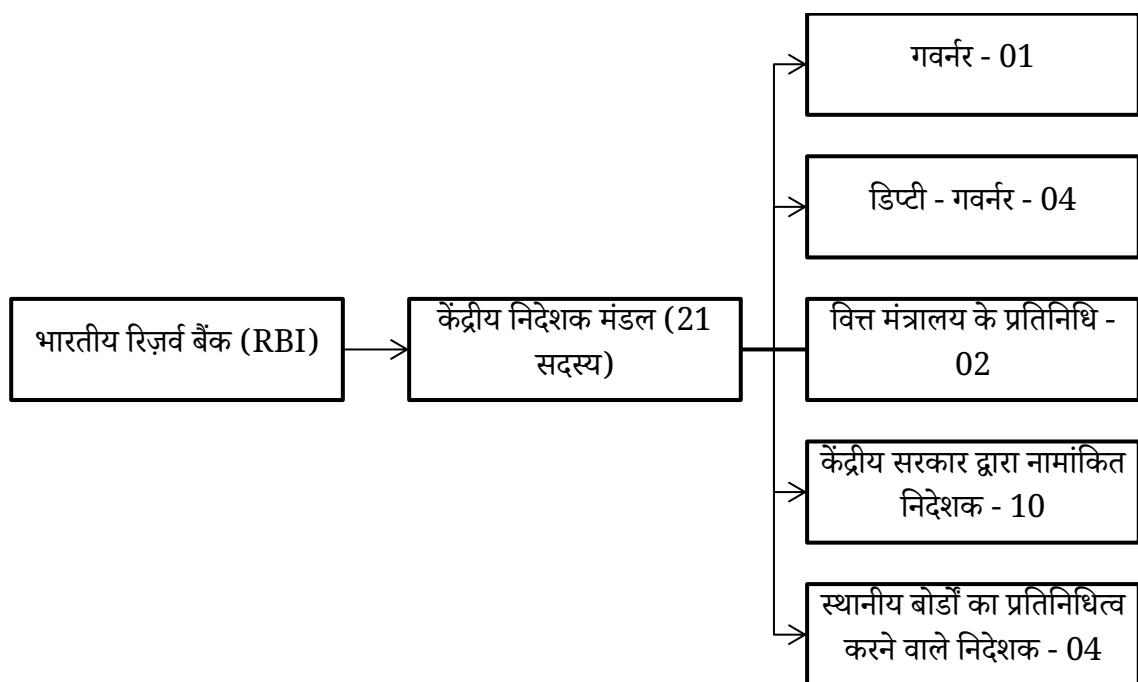
1. **मुद्रा जारी करना और नियंत्रित करना:** RBI एकमात्र संस्था है जिसे भारतीय मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार है (₹1 को छोड़कर, जो सरकार द्वारा जारी किया जाता है)। यह सार्वजनिक और अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए तरलता की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करता है। RBI मुद्रा की गुणवत्ता की निगरानी और अनुपयुक्त या जाली मुद्रा को वापस लेकर मौद्रिक प्रणाली में जनता के विश्वास को बनाए रखता है।
2. **मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना:** RBI का एक प्रमुख उद्देश्य मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना है जिसमें महंगाई, मंदी और तरलता को नियंत्रित करना शामिल है। रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, नकद आरक्षित अनुपात (CRR) और बैंक दर जैसे उपकरणों का उपयोग करके RBI ऋण प्रवाह और ब्याज दरों को प्रभावित करता है। प्रभावी मौद्रिक प्रबंधन आर्थिक विकास को सुनिश्चित करता है जबकि मूल्य स्तरों को स्थिर रखता है जो व्यापारों और उपभोक्ताओं दोनों का समर्थन करता है।

3. **वित्तीय प्रणाली का विनियमन और निगरानी करना:** RBI बैंकों, एनबीएफसी और अन्य वित्तीय संस्थानों को विनियमित करता है ताकि एक मजबूत और स्थिर वित्तीय प्रणाली सुनिश्चित हो सके। यह पूंजी पर्याप्तता, उधारी प्रथाओं, जोखिम प्रबंधन और प्राथमिक क्षेत्रक उधारी आदि से संबंधित नियम बनाता है। इन संस्थाओं की निगरानी करके RBI प्रणालीगत जोखिम को कम करता है, वित्तीय संकटों को रोकता है और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करता है। इस प्रकार ये बैंकिंग क्षेत्र में विश्वास को मजबूत करता है।
4. **सरकार और बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना:** RBI केंद्रीय और राज्य सरकारों के बैंक के रूप में कार्य करता है तथा इनके खातों, सार्वजनिक ऋण और अन्य देयताओं का प्रबंधन करता है। यह अनुसूचित बैंकों का भी बैंक होता है तथा उनके खातों को बनाए रखता है और अंतिम आश्रय ऋणदाता के रूप में आपातकालीन तरलता प्रदान करता है। यह द्वितीयक भूमिका सरकारी वित्त और बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करती है।
5. **आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना:** RBI एक विकासात्मक भूमिका निभाता है और वित्त, ऋण समर्थन और नीतिगत पहलों के माध्यम से आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देता है। यह कृषि, लघु और मध्यम उद्योगों, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समर्थन करता है जबकि वित्तीय समावेशन और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देता है। ये प्रयास बचत को एकत्र करने, वित्त तक पहुंच का विस्तार करने और समग्र अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करते हैं।

केंद्रीय निदेशक मंडल

- **RBI अधिनियम, 1934** के तहत RBI का संचालन करता है।
- सदस्यों की नियुक्ति/नामकरण भारत सरकार द्वारा किया जाता है तथा इसका कार्यकाल 4 वर्ष होता है।

RBI की संरचना:



1. गवर्नर: RBI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

- ✓ RBI का प्रमुख
- ✓ केंद्रीय बैंक का CEO
- ✓ केंद्रीय बोर्ड के पदेन अध्यक्ष
- ✓ भारत सरकार द्वारा नियुक्त
- ✓ आधिकारिक कार्यकाल: 3 वर्ष (पुनर्नियुक्ति की जा सकती है)
- ✓ RBI के करेंसी नोटों पर गवर्नर का हस्ताक्षर होता है।

2. डिप्टी-गवर्नर (अधिकतम 4): विभिन्न विभागों (मौद्रिक नीति, बैंकिंग विनियमन, आदि) के प्रमुख।

3. आधिकारिक निदेशक: सरकार के प्रतिनिधि और RBI के अधिकारी।

4. नामांकित निदेशक: बैंकिंग, वित्त और उद्योग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले।

RBI के गवर्नर एवं उनका कार्यकाल:

क्र.सं.	गवर्नर	कार्यकाल
1	सर ऑस्बॉर्न स्मिथ	1935-1937
2	सर जेम्स ब्रेड टेलर	1937-1943
3	सर सी. डी. देशमुख	1943-1949
4	सर बेनेगल रामा राव	1949-1957
5	के. जी. अंबेगांवकर	1957

6	एच. वी. आर. अयंगर	1957-1962
7	पी. सी. भट्टाचार्य	1962-1967
8	एल. के. झा	1967-1970
9	बी. एन. अडारकर	1970
10	एस. जगन्नाथन	1970-1975
11	एन. सी. सेन गुप्ता	1975
12	के. आर. पुरी	1975-1977
13	एम. नरसिम्हन	1977
14	आई. जी. पटेल	1977-1982
15	मनमोहन सिंह	1982-1985
16	अमिताव घोष	1985
17	आर. एन. मल्होत्रा	1985-1990
18	एस. वेण्कटरमण	1990-1992
19	सी. रंगराजन	1992-1997
20	बिमल जालान	1997-2003
21	वाई. वी. रेड्डी	2003-2008
22	डी. सुब्बाराव	2008-2013
23	रघुराम राजन	2013-2016
24	उर्जित पटेल	2016-2018
25	शक्तिकांत दास	2018-2024
26	संजय मल्होत्रा	2024-वर्तमान

भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य

- RBI के कार्यों को मुख्य, विकासात्मक और नियामक भूमिकाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है:

A. मौद्रिक प्राधिकरण

- ✓ मौद्रिक नीति तैयार करना और उसे लागू करना ताकि मूल्य स्थिरता और वृद्धि सुनिश्चित हो सके।
- ✓ **उपकरण:**
 - **रेपो दर** – वह दर जिस पर बैंक RBI से उधारी लेते हैं।
 - **रिवर्स रेपो दर** – वह दर जिस पर बैंक RBI के पास अधिशेष धन पार्क करते हैं।
 - **कैश रिजर्व रेशियो (CRR)** – वह प्रतिशत जो बैंकों को RBI के पास रखना होता है।
 - **बैंक दर** – वह दीर्घकालिक उधारी दर जो RBI बैंकों को देता है।
- ✓ उद्देश्य: महंगाई को नियंत्रित करना, तरलता को विनियमित करना, मुद्रा को स्थिर करना।

B. वित्तीय प्रणाली का नियामक और पर्यवेक्षक

- ✓ बैंकों और NBFCs की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना।
- ✓ निम्नलिखित के संबंध में नीति और दिशानिर्देश निर्धारित करता है:
 - उधारी और ऋण मानक
 - पूंजी पर्याप्तता
 - जोखिम प्रबंधन
- ✓ वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, NBFCs और भुगतान बैंकों का पर्यवेक्षण करता है।

C. विदेशी मुद्रा का प्रबंधक

- ✓ **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999** को लागू करता है।
- ✓ विदेशी मुद्रा भंडार (सोने और विदेशी मुद्रा) बनाए रखता है।
- ✓ विनिमय दरों को स्थिर करता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समर्थन करता है।

D. मुद्रा जारीकर्ता के रूप में

- ✓ भारतीय बैंक नोट (₹1 के नोट को छोड़कर, जो सरकार द्वारा जारी होता है) जारी करने का एकमात्र अधिकार।
- ✓ अवैध या क्षतिग्रस्त मुद्रा को परिसंचरण से बाहर करता है।
- ✓ सभी प्रकार की मुद्रा की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

E. विकासात्मक भूमिका

- ✓ संस्थागत समर्थन और वित्त के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।
- ✓ ये निम्नलिखित क्षेत्रों का समर्थन करता है:
 - कृषि
 - MSMEs
 - बुनियादी ढांचा
 - ग्रामीण और अर्ध-शहरी विकास
- ✓ वित्तीय समावेशन, डिजिटल बैंकिंग और सूक्ष्म वित्त को बढ़ावा देता है।

F. सरकार का बैंकर

- ✓ केंद्रीय और राज्य सरकारों के प्रधान बैंकर के रूप में कार्य करता है।
- ✓ **कार्य:**
 - सरकारी खातों का प्रबंधन
 - सरकारों को ऋण जारी करना
 - सार्वजनिक ऋण और सुरक्षा का प्रबंधन

G. बैंकों का बैंकर

- ✓ सभी अनुसूचित बैंकों के खातों का प्रबंधन करता है।
- ✓ तरलता संकट के दौरान **अंतिम ऋणदाता** के रूप में भूमिका निभाता है।
- ✓ ये इंटरबैंक लेन-देन के निपटान और निस्तारण में मदद करता है।

H. अन्य कार्य

- ✓ **अनुसंधान और सांख्यिकी:** आर्थिक और वित्तीय डेटा प्रकाशित करता है तथा मौद्रिक नीति, महंगाई, ऋण आदि पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

- ✓ भुगतान प्रणालियों का नियमन: RTGS, NEFT, UPI और डिजिटल भुगतान अवसंरचना का पर्यवेक्षण करता है।

आरबीआई का उत्कर्ष: मध्यकालिक रणनीति

- भारतीय रिजर्व बैंक नियमित रूप से नियमन, पर्यवेक्षण और आंतरिक शासन को सुदृढ़ करने के लिए मध्यकालिक रणनीतियाँ बनाता है। ऐसी ही एक संरचित रोडमैप है उत्कर्ष।
- यह आरबीआई का तीन वर्षीय मध्यकालिक रणनीति फ्रेमवर्क है।
- उद्देश्य:
 - ✓ नियामक तंत्र को सुधारना
 - ✓ पर्यवेक्षण प्रणालियों को मजबूत करना
 - ✓ आंतरिक शासन को बढ़ाना
 - ✓ संस्थागत क्षमता निर्माण
 - ✓ वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना
- उत्कर्ष 2022 (प्रथम चरण)
 - ✓ प्रारंभ: जुलाई, 2019
 - ✓ अवधि: 2019-2022
 - ✓ एक संरचित रणनीतिक रोडमैप प्रदान किया
 - ✓ इसमें शामिल थे:
 - 6 दृष्टि वक्तव्य
 - मुख्य उद्देश्य
 - मूल्य
 - मिशन
- उत्कर्ष 2.0 (द्वितीय चरण)
 - ✓ प्रारंभ: 30 दिसंबर 2022
 - ✓ अवधि: 2023-2025
 - ✓ उत्कर्ष 2022 पर आधारित
 - ✓ इसमें भी इन्हें बनाए रखा गया:
 - 6 दृष्टि वक्तव्य
 - मुख्य उद्देश्य
 - मूल्य
 - मिशन

➤ दृष्टि वक्तव्य (2023-25 के लिए मार्गदर्शन)

1. कानूनी और अन्य कार्यों में उत्कृष्टता
2. नागरिकों और संस्थानों का विश्वास मजबूत करना
3. राष्ट्रीय और वैश्विक भूमिकाओं में प्रासंगिकता में वृद्धि
4. पारदर्शी, उत्तरदायी और नैतिक शासन
5. बेहतर, पर्यावरण-अनुकूल डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचा
6. नवोन्मेषी, गतिशील और कुशल मानव संसाधन

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की सहायक

कंपनियां

डिपॉजिट इश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC)

- डिपॉजिट इश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसे 15 जुलाई, 1978 को डिपॉजिट इश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अधिनियम, 1961 के तहत स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बैंक जमाओं के लिए बीमा कवरेज प्रदान करना और कुछ ऋण सुविधाओं की गारंटी देना है।
- DICGC का गठन दो पूर्व संस्थाओं के विलय से हुआ था:
 - ✓ डिपॉजिट इश्योरेंस कॉर्पोरेशन (DIC)
 - ✓ क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CGCI)
- विलय का उद्देश्य डिपॉजिट इश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी के कार्यों को एक संगठन के तहत एकीकृत करना था।
- DICGC विभिन्न प्रकार की बैंक जमाओं का बीमा करता है जिसमें बचत, सावधि, चालू और अनुवर्ती जमाएँ शामिल हैं और यह एक निर्दिष्ट सीमा तक प्रति जमाकर्ता बीमा प्रदान करता है। यदि एक जमाकर्ता के एक ही बैंक में कई खाते हैं तो उन्हें बीमा उद्देश्यों के लिए एकल खाता माना जाता है। बीमा प्रीमियम का भुगतान बीमाकृत बैंकों द्वारा किया जाता है।

- DICGC के कार्यों को निम्नलिखित द्वारा शासित किया जाता है:
 - ✓ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अधिनियम, 1961
 - ✓ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन सामान्य विनियम, 1961
- DICGC का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है।

डिपॉजिट इंश्योरेंस योजना के तहत कवर किए गए बैंक

- सभी वाणिज्यिक बैंक, जिनमें भारत में संचालित विदेशी बैंकों की शाखाएँ, स्थानीय क्षेत्रीय बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं।
- **DICGC अधिनियम की धारा 2(gg)** के तहत पात्र सहकारी बैंक।

भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL)

- **भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL)**, RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसे 1995 में भारतीय मुद्रा नोटों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया था।
- BRBNMPL RBI के लिए भारतीय करेंसी नोटों की छपाई करता है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है। कंपनी दो मुद्रण प्रेस चलाती है जो मैसूर (कर्नाटक) और सालबोनी (पश्चिम बंगाल) में स्थित है।
- BRBNMPL देश की कागजी मुद्रा की आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा पूरा करता है। शेष मांग को भारत सरकार के उपक्रम **सिक्क्योरिटी प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL)** द्वारा पूरा किया जाता है।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 में BRBNMPL ने 20,000 मिलियन से अधिक करेंसी नोट छापे और एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। कंपनी के पास अपनी डिज़ाइन सुविधा है और भारतीय मुद्रा नोटों के सभी मूल्यवर्ग छापने की क्षमता है।
- **SPMCIL के तहत:**
 - ✓ मुद्रण नोट प्रेस, नासिक
 - ✓ बैंक नोट प्रेस, देवास

- 1968 में वित्त मंत्रालय के तहत स्थापित **सिक्क्योरिटी पेपर मिल (SPM)**, होशंगाबाद विभिन्न प्रकार के सुरक्षा कागज का उत्पादन करता है।
- भारत में स्थित सरकारी टकसालें (मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा) भारतीय सिक्कों को टकसालित करने के लिए जिम्मेदार है।

राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB)

- **राष्ट्रीय आवास बैंक** की स्थापना 9 जुलाई, 1988 को **राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987** के तहत की गई थी। यह RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
- NHB भारत में आवास वित्त के लिए एक प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय और क्षेत्रीय स्तरों पर आवास वित्त संस्थानों को बढ़ावा देना और ऐसे संस्थानों को वित्तीय और अन्य प्रकार का समर्थन प्रदान करना है।
- NHB की स्थापना के प्रस्ताव की समीक्षा **डॉ. C. रंगराजन** (तत्कालीन RBI के उप-गवर्नर) की अध्यक्षता में की गई थी जिन्होंने **NHB** को एक स्वायत्त आवास वित्त संस्थान के रूप में स्थापित करने की सिफारिश की थी।
- **NHB ने NHB RESIDEX** लॉन्च किया जो भारत का पहला आधिकारिक आवासीय हाउसिंग मूल्य सूचकांक है।
- **NHB का मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में स्थित है।**

RBI के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

- चिह्न: पैथर और ताड़ का पेड़
- पहली महिला डिप्टी-गवर्नर: K.J. उडेसी
- RBI जनसाधारण से जमा स्वीकार नहीं करता है।
- RBI भारत में बैंक नोटों का एकमात्र जारीकर्ता है।
- **महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बिंदु:**
 - ✓ हिल्टन-यंग आयोग ने इसकी स्थापना की सिफारिश की।
 - ✓ 1949 में राष्ट्रीयकरण।
 - ✓ आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय समावेशन और विकास कार्यों के माध्यम से।

वेज़ एंड मीन्स एडवांस (WMA)

- वेज़ एंड मीन्स एडवांस भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा प्रदत्त एक सुविधा है जो केंद्रीय और राज्य सरकारों को प्राप्तियों और भुगतानों के बीच अस्थायी असंतुलन को प्रबंधित करने में सहायता प्रदान करने के लिए उनके क्रेडिट नीति के तहत प्रदान की जाती है।
- यह प्रावधान RBI अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) द्वारा शासित है। ये एडवांस उस तिथि से तीन महीनों के भीतर चुकता किया जाना चाहिए जिस दिन उन्हें प्रदान किया गया था।

WMA के प्रकार

- वेज़ एंड मीन्स एडवांस (WMA) के दो प्रकार हैं:
 - ✓ **विशेष WMA:** ये भारत सरकार की प्रतिभूतियों द्वारा सुरक्षित होता है।
 - ✓ **सामान्य WMA:** ये असुरक्षित एडवांस होते हैं अर्थात् इनकी कोई संपार्श्विकता नहीं होती जिन्हें विशेष WMA की सीमा समाप्त होने पर दिया जाता है।

WMA का उद्देश्य

- RBI अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) के तहत RBI को केंद्रीय और राज्य सरकारों को WMA प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है।
- WMA का प्रमुख उद्देश्य सरकार के खर्च और प्राप्तियों के बीच अंतर को पूरा करना है। यह वित्त का स्थायी स्रोत नहीं है बल्कि यह अस्थायी रूप से राजस्व की कमी या प्राप्तियों के समय अंतराल के कारण उत्पन्न नकदी प्रवाह की समस्याओं को हल करने के लिए एक अल्पकालिक व्यवस्था है।

न्यूनतम आरक्षित प्रणाली (MRS)

- RBI वर्तमान में मुद्रा जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षित प्रणाली का पालन करता है जो 1956 से लागू है।
- न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के तहत RBI को ₹200 करोड़ की न्यूनतम आरक्षित राशि बनाए रखनी होती है जिसमें शामिल है:
 - ✓ सोने के सिक्के और बुलियन
 - ✓ विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति

- कुल ₹200 करोड़ में से कम से कम ₹115 करोड़ सोने की सिक्के या सोने के बुलियन के रूप में बनाए रखने चाहिए।
- न्यूनतम आरक्षित प्रणाली की ओर परिवर्तन का उद्देश्य मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करना था ताकि अर्थव्यवस्था में लेन-देन की बढ़ती मात्रा को पूरा किया जा सके।

बैंकिंग ओम्बड्समैन

- ओम्बड्समैन एक अधिकारी होते हैं जिन्हें ग्राहकों द्वारा सेवा प्रदाताओं के खिलाफ की गई शिकायतों का समाधान करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ओम्बड्समैन एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र प्रदान करते हैं जो सरल, लागत-प्रभावी और सुलभ होता है। ओम्बड्समैन प्रणाली के तहत प्रक्रिया संक्षिप्त होती है और यह साक्ष्य के कठोर नियमों से बाध्य नहीं होती।
- यह 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35A के तहत जारी किया गया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने संशोधित एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2026 को लॉन्च किया है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू होगी और मौजूदा एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 को प्रतिस्थापित करेगी।
- भारत में कुल बैंकिंग ओम्बड्समैन की संख्या: 22

योजना का विकास

➤ एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021

- ✓ "एक राष्ट्र, एक ओम्बड्समैन" दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया।
- ✓ इसमें पहले की तीन योजनाओं को एकीकृत किया गया:
 - बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना, 2006
 - एनबीएफसी के लिए ओम्बड्समैन योजना, 2018
 - डिजिटल लेन-देन के लिए ओम्बड्समैन योजना, 2019

- योजना का उद्देश्य एक तीव्र और लागत-प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना, शिकायत समाधान की दक्षता को सुधारना और वित्तीय सेवाओं में उपभोक्ता सुरक्षा को मजबूत करना है।

इसमें कौन-कौन शामिल?

- यह योजना वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक, ₹50 करोड़ या उससे अधिक जमा वाले शहरी सहकारी बैंक, ऐसे NBFC जो जमा स्वीकार करते हैं (NBFC-D) या जिनकी संपत्ति ₹100 करोड़ या उससे अधिक है, डिजिटल वॉलेट्स जैसे गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान जारी करने वाले और क्रेडिट सूचना कंपनियों को कवर करती है जबकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियां बाहर हैं।

स्वीकृत शिकायतों के प्रकार

- ग्राहक सेवा में कमी, देरी, आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने या खराब ग्राहक सेवा से संबंधित शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।
- हालांकि, वाणिज्यिक निर्णय, नियोक्ता-कर्मचारी विवाद, अंतर-इकाई विवाद, या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों में लंबित मामले कवर नहीं होते हैं।
- ग्राहक को पहले संबंधित इकाई से संपर्क करना चाहिए यदि 30 दिनों के भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है या उत्तर असंतोषजनक है, तो वह मामले को ओम्बड्समैन के पास ले जा सकता है।

मुआवजा (2026 योजना)

- 2026 योजना के तहत, विवाद की मूल्य सीमा पर कोई सीमा नहीं है और ओम्बड्समैन वित्तीय हानि के लिए ₹30 लाख तक और उत्पीड़न, मानसिक पीड़ा, या समय की हानि जैसे गैर-वित्तीय हानि के लिए ₹3 लाख तक मुआवजा प्रदान कर सकता है।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

- शिकायतें आरबीआई के शिकायत प्रबंधन प्रणाली (CMS) पोर्टल, ईमेल या केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र के माध्यम से दर्ज की जा सकती हैं।

अपील

- यदि कोई पक्ष ओम्बड्समैन के निर्णय से असंतुष्ट है तो वह आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के पास 30 दिनों के भीतर अपील दर्ज कर सकता है और अपीलीय प्राधिकरण मामले को स्थिर, संशोधित या फिर से भेज सकता है।

विशेषता	RB-IOs 2021	संशोधित योजना 2026
दृष्टिकोण	एक राष्ट्र, एक ओम्बड्समैन	बढ़ी हुई दक्षता के साथ निरंतरता
मुआवजा	₹20 लाख + ₹1 लाख	₹30 लाख + ₹3 लाख
कवरेज	बैंक, एनबीएफसी, पीपीआई, सीआईसी	विस्तारित और स्पष्ट कवरेज
प्रकृति	न्यायक्षेत्र तटस्थ	केंद्रीकृत और सुदृढ़

नोट:

- ₹5,000 करोड़ या उससे अधिक संपत्ति आकार वाली जमा स्वीकार नहीं करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (ND-NBFCs) को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनिवार्य रूप से एक आंतरिक ओम्बड्समैन (IO) नियुक्त करना होता है।
- यह आवश्यकता शिकायतों को आरबीआई की एकीकृत ओम्बड्समैन तक पहुंचने से पहले आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से है।

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC)

- CBDC देश की कानूनी मुद्रा का डिजिटल रूप है जिसे सीधे उसके केंद्रीय बैंक द्वारा जारी और समर्थित किया जाता है। यह केंद्रीय बैंक की एक देनदारी होती है जो भौतिक नकदी (बैंकनोट और सिक्कों) या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा केंद्रीय बैंक में रखी गई आरक्षित निधियों के समान होती है।
- **कार्यप्रणाली:** CBDCs सुरक्षा, अखंडता और प्रमाणन के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करते हैं। इसमें डेटा सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन और लेन-देन को प्रमाणित करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग शामिल है।
- गोपनीयता बढ़ाने वाली विधियाँ, जैसे कि **ज़ीरो-नॉलेज प्रूफ्स**, गुमनामी और विनियमन के बीच संतुलन बनाती हैं।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य निजी डिजिटल मुद्राओं (जैसे स्थिरकॉइन) के उदय और नकदी में कमी के बीच भुगतान प्रणालियों को आधुनिक बनाना है और यह एक कुशल और समावेशी वित्तीय प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करता है।

CBDC के लाभ

एक लचीले भुगतान परिदृश्य का समर्थन करना	निजी धन निर्माण के नए रूपों के जोखिमों से बचना	भुगतान में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और नवाचार का समर्थन करना	डिजिटल अर्थव्यवस्था में भविष्य की भुगतान आवश्यकताओं को पूरा करना	केंद्रीय बैंक की मुद्रा की उपलब्धता और उपयोगिता में सुधार करना	नकदी में गिरावट के परिणामों का समाधान करना	बेहतर सीमा-पार भुगतान के लिए एक बिल्टिंग ब्लॉक के रूप में
---	--	--	--	--	--	---

➤ **प्रकार: रिटेल CBDC (rCBDC):** यह सामान्य जनता के दैनिक भुगतान के लिए होता है। जैसे - ट्रांसफर और खरीददारी।

✓ **थोक CBDC (wCBDC):** यह केवल बैंकों और संस्थानों के लिए है जो अंतरबैंक निपटान और बड़े लेन-देन के लिए उपयोग किया जाता है।

➤ **मौजूदा डिजिटल मुद्रा से अंतर:** जबकि आज अधिकांश धन पहले ही डिजिटल है (जैसे कि बैंक खाता बैलेंस या मोबाइल भुगतान), वे सभी वाणिज्यिक बैंकों की देनदारियाँ होती हैं। एक CBDC केंद्रीय बैंक पर सीधे दावा होती है जो नकद के समान सुरक्षा और तरलता का सर्वोच्च स्तर प्रदान करती है।

➤ **वैश्विक संदर्भ:** बहामास 2020 में पहला देश बना जिसने एक राष्ट्रीय CBDC, **सैंड डॉलर**, लॉन्च किया। इसके बाद 2020 में नाइजीरिया का **eNaira** भी लॉन्च हुआ। दुनिया के 90% से अधिक केंद्रीय बैंक CBDCs का अन्वेषण कर रहे हैं और लगभग 60% देशों ने पहले ही इस दिशा में कई अवधारणाओं को साबित करने के अच्छे प्रयास किये हैं।

✓ किसी भी BRICS सदस्य ने पूरी तरह से एक डिजिटल मुद्रा लॉन्च नहीं की है, पांचों सदस्य पायलट परियोजनाएँ चला रहे हैं।

✓ प्रमुख राष्ट्रीय CBDCs में ब्राजील का **Drex** (उन्नत पायलट), रूस का **डिजिटल रूबल** (सीमित वाणिज्यिक उपयोग के साथ चल रहा पायलट), भारत का **e-Rupee** (7 मिलियन रिटेल उपयोगकर्ता) और चीन का **e-CNY** (सबसे व्यापक पायलट) शामिल हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका अभी शोध चरण में है।

डिजिटल रुपी

➤ डिजिटल रुपी भारतीय रुपी का डिजिटल संस्करण है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी और नियंत्रित किया जाता है। इसे **e₹ (e-Rupee)** या केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) भी कहा जाता है। यह निजी तौर पर जारी की गई क्रिप्टोकॉरेसी से अलग है क्योंकि यह केंद्रीय स्वामित्व वाली और संप्रभु मुद्रा है।

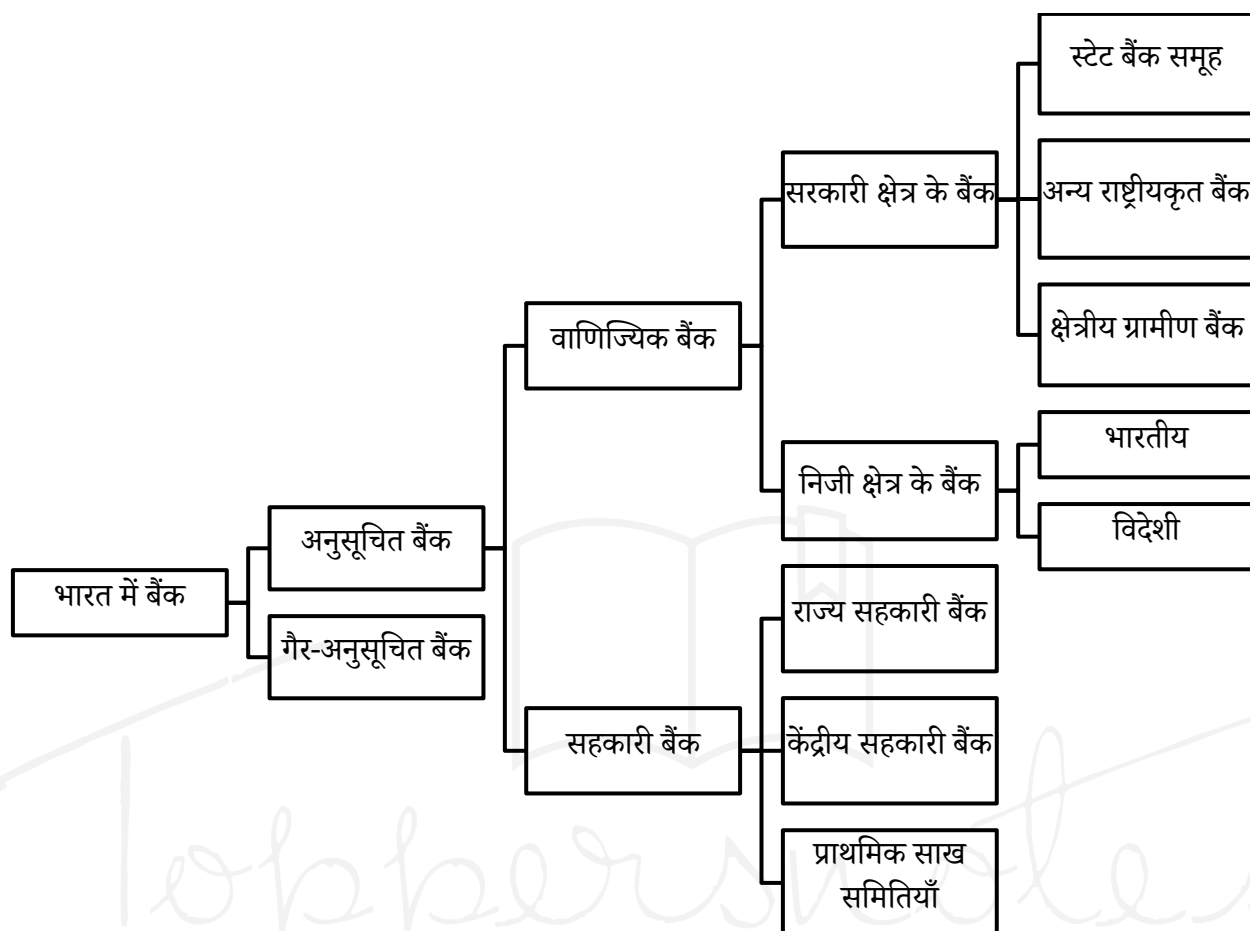
✓ इसे ऑफलाइन कार्यक्षमता के साथ डिज़ाइन किया गया है जिससे इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी लेन-देन किए जा सकते हैं।

डिजिटल मुद्रा

➤ डिजिटल मुद्रा वह मुद्रा होती है जो केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में अस्तित्व में होती है जिसे डिजिटल पैसे, इलेक्ट्रॉनिक पैसे या साइबरकैश भी कहा जाता है और लेन-देन कंप्यूटर या इंटरनेट से जुड़े वॉलेट्स के माध्यम से किए जाते हैं।

✓ यह संभव है कि बिना अमेरिकी डॉलर या SWIFT का उपयोग किए डिजिटल मुद्रा में भुगतान किया जाए। एक डिजिटल मुद्रा को शर्तों के साथ प्रोग्राम किया जा सकता है। जैसे - खर्च करने के लिए समय-सीमा।

भारत में बैंकिंग प्रणाली



अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

- रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 के तहत दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध बैंक अनुसूचित बैंक के रूप में जाने जाते हैं।
- अनुसूचित बैंकों में शामिल हैं:
 - ✓ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
 - ✓ अनुसूचित सहकारी बैंक
- अनुसूचित बैंक बनने के लिए किसी कंपनी या संस्थान की न्यूनतम पेड-अप या चुकता पूंजी और आरक्षित निधि कम-से-कम ₹5 लाख होनी चाहिए।
- अनुसूचित बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से निर्धारित बैंक दर पर धन उधार लेने के लिए पात्र होते हैं।
- ये बैंक RBI के साथ पहले दर्जे के व्यापार बिलों को पुनः छूट देने की सुविधा के लिए भी पात्र होते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग मानकों के अनुसार: बचत बैंक खाते निम्नलिखित के लिए होते हैं:

- व्यक्तियों के लिए
 - संयुक्त खाता धारक
 - नाबालिग
 - कुछ योग्य संस्थाएँ (जैसे शैक्षिक या चैरिटी संस्थाएँ)
- निम्नलिखित सरकारी/स्थानीय वैधानिक निकाय है और इसलिए वे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में बचत खाते नहीं खोल सकते:**
1. नगरपालिका निगम/समितियाँ
 2. पंचायत समितियाँ
 3. मेट्रोपोलिटन विकास प्राधिकरण
- इन निकायों को बचत खाते के बजाय **चालू खाता** बनाए रखना होगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB)

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) एक प्रकार के वाणिज्यिक बैंक है जिसमें बहुमत शेयर सरकार के पास होता है। ये बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक या ऐसे बैंक होते हैं जिनमें भारत सरकार का स्वामित्व 50% से अधिक होता है।
- भारत में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के विनियामक पर्यवेक्षण और दिशानिर्देशों के तहत कार्य करते हैं।
- वर्तमान में भारत में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं।

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सूची

Sl. No.	बैंक का नाम	मुख्यालय
1	भारतीय स्टेट बैंक (SBI)	मुंबई, महाराष्ट्र
2	पंजाब नेशनल बैंक (PNB)	नई दिल्ली
3	भारतीय बैंक	चेन्नई, तमिलनाडु
4	बैंक ऑफ बड़ौदा	वडोदरा, गुजरात
5	कैनरा बैंक	बेंगलुरु, कर्नाटक
6	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	मुंबई, महाराष्ट्र
7	बैंक ऑफ इंडिया	मुंबई, महाराष्ट्र
8	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	मुंबई, महाराष्ट्र
9	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	चेन्नई, तमिलनाडु
10	यूको बैंक	कोलकाता, पश्चिम बंगाल
11	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	पुणे, महाराष्ट्र
12	पंजाब एंड सिंध बैंक	नई दिल्ली, दिल्ली

State Bank of India:

- SBI की स्थापना 1806 में **कलकत्ता बैंक** के रूप में की गई थी।
- 1809 में, रॉयल चार्टर मिलने के बाद इसे **बैंक ऑफ बंगाल** के रूप में नामित किया गया।

- 1840 में **बैंक ऑफ बॉम्बे** और 1843 में **बैंक ऑफ मद्रास** की स्थापना हुई।
- इन तीन बैंकों को **प्रेसिडेंसी बैंक्स** के रूप में पहचाना गया जिन्हें 1861 में भारत सरकार द्वारा मुद्रा जारी करने के विशेष अधिकार दिए गए।
- 1921 में इन तीनों बैंकों का विलय करके **इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया** का नाम दिया गया।
- 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया और 1 जुलाई, 1955 को **इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया** ही **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया** बन गया।
- 2007-08 में भारत सरकार ने RBI से SBI के सभी शेयर खरीद लिए जिसके बाद इस पर 100% सरकार का स्वामित्व है।
- **भारतीय स्टेट बैंक (SBI)** भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। 2017 में इसने योनो एप लॉन्च किया।

निजी क्षेत्र के बैंक

- **निजी क्षेत्र का बैंक** एक प्रकार का वाणिज्यिक बैंक है जिसके अधिकांश पूंजी शेयर निजी व्यक्तियों, कॉर्पोरेट संस्थाओं या व्यापार समूहों के पास होते हैं। ये बैंक सीमित दायित्व वाली कंपनियों के रूप में और **भारतीय रिज़र्व बैंक** के नियामक ढांचे के तहत काम करते हैं।
- **आरबीआई** ने निजी क्षेत्र के बैंकों में **प्रमोटर शेयरधारिता की सीमा को बढ़ाकर पेड-अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल का 26%** कर दिया।

- **यूनिवर्सल बैंक:** न्यूनतम 10 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड।
- **लघु वित्त बैंक (SFBs):** न्यूनतम 5 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड।
- **भुगतान बैंक (PB)** को **SFB में बदलना:** भुगतान बैंक के रूप में न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव।

भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों की सूची

क्रम संख्या	बैंक का नाम	स्थापना वर्ष	मुख्यालय
1	सिटी यूनिन बैंक	1904	तंजावुर, तमिलनाडु
2	करूर वैश्य बैंक	1916	करूर, तमिलनाडु
3	सीएसबी बैंक	1920	त्रिशूर, केरल
4	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक	1921	थूथुकुडी, तमिलनाडु
5	नैनीताल बैंक	1922	नैनीताल, उत्तराखंड
6	कर्नाटक बैंक	1924	मंगलुरु, कर्नाटक
7	लक्ष्मी विलास बैंक	1926	चेन्नई, तमिलनाडु
8	धनलक्ष्मी बैंक	1927	त्रिशूर, केरल
9	साउथ इंडियन बैंक	1929	त्रिशूर, केरल
10	डीसीबी बैंक	1930	मुंबई, महाराष्ट्र
11	फेडरल बैंक	1931	अलुवा, केरल
12	जम्मू एंड कश्मीर बैंक	1938	श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर
13	आरबीएल बैंक	1943	मुंबई, महाराष्ट्र
14	आईडीबीआई बैंक	1964	मुंबई, महाराष्ट्र भारत जीवन बीमा निगम (LIC) ने IDBI बैंक में 51% हिस्सेदारी खरीदी, इस प्रकार हिस्सेदारी की दृष्टि से वह बैंक का बहुमत मालिक है। भारत सरकार के पास IDBI बैंक में 45.48% हिस्सेदारी थी।
15	इंडसइंड बैंक	1964	मुंबई, महाराष्ट्र
16	एक्सिस बैंक	1993	मुंबई, महाराष्ट्र
17	एचडीएफसी बैंक	1994	मुंबई, महाराष्ट्र
18	आईसीआईसीआई बैंक	1994	मुंबई, महाराष्ट्र
19	कोटक महिंद्रा बैंक	2003	मुंबई, महाराष्ट्र
20	यस बैंक	2004	मुंबई, महाराष्ट्र
21	आईडीएफसी फर्स्ट बैंक	2015	मुंबई, महाराष्ट्र
22	बंधन बैंक	2015	कोलकाता, पश्चिम बंगाल

नियो बैंक

- नियो बैंक एक पूरी तरह से डिजिटल बैंक है जो बिना भौतिक शाखाओं के संचालित होता है।
- यह मोबाइल ऐप और ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से पूर्ण बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है।
 - ✓ पारंपरिक ईट और मोटार शाखाएं नहीं होती।
 - ✓ पूरी तरह से प्रौद्योगिकी-प्रेरित।
 - ✓ निर्बाध डिजिटल बैंकिंग अनुभव प्रदान करता है।

➤ मुख्य विशेषताएँ

- ✓ 100% ऑनलाइन संचालन
- ✓ डिजिटल KYC के माध्यम से खाता खोलना
- ✓ ऐप-आधारित बैंकिंग इंटरफ़ेस
- ✓ पेपरलेस लेन-देन

नियो बैंक्स के फायदे

➤ बेहतर ग्राहक अनुभव

- ✓ खाता खोलने की तीव्र प्रक्रिया

- ✓ 24x7 चैटबॉट सहायता
- ✓ लगभग वास्तविक समय में सीमा-पार भुगतान
- ✓ ए.आई. और एम.एल. संचालित बजट और खजाना उपकरण

➤ स्वचालित सेवाएँ

- ✓ वास्तविक समय में बुककीपिंग
- ✓ स्वचालित बैलेंस शीट्स और P/L स्टेटमेंट्स
- ✓ GST-पालनकारी चालान
- ✓ कर भुगतान रिकॉर्ड प्रबंधन
- ✓ सस्ती लेखांकन समाधान

➤ पारदर्शिता

- ✓ शुल्क के लिए वास्तविक समय में अलर्ट
- ✓ शुल्क और दंड का स्पष्ट विवरण
- ✓ कोई छिपी हुई लागत नहीं

➤ APIs उपयोग में आसान

- ✓ भुगतान और लेखांकन प्लेटफार्मों में बैंकिंग सेवाएं एकीकृत
- ✓ स्टार्टअप्स और व्यवसायों के लिए उपयोगी

➤ गहरी वित्तीय जानकारी

- ✓ स्मार्ट डैशबोर्ड्स
- ✓ व्यय ट्रैकिंग
- ✓ देनदारियां और प्राप्तियां प्रबंधन
- ✓ उत्पादकता-बढ़ाने वाले विश्लेषण

- विदेशी बैंकों को भारत में निम्नलिखित के माध्यम से कार्य करने की अनुमति होती है:

- ✓ शाखा कार्यालय
- ✓ प्रतिनिधि कार्यालय
- ✓ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ (RBI की स्वीकृति के अधीन)

- भारत में शाखा खोलने के इच्छुक किसी भी विदेशी बैंक को **भारतीय रिज़र्व बैंक** में आवेदन करना होता है और अपनी स्वामित्व संरचना, वित्तीय स्थिति और भारत में मौजूदा व्यापारिक संबंधों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करनी होती है।

- विदेशी बैंकों ने भारत में पहली बार 1850 के दशक में ब्रिटिश शासन के दौरान कार्य करना शुरू किया। पहले विदेशी बैंकों में **HSBC** (जो 1853 में भारत में स्थापित हुआ) और **स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक** (1858 में स्थापित) शामिल हैं।

विदेशी बैंकों के लाभ

- भारत की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण को बढ़ावा देना
- उन्नत प्रौद्योगिकी, आधुनिक बैंकिंग प्रथाओं और वित्तीय नवाचारों की पेशकश
- भारत के बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना
- विदेशी मुद्रा लेन-देन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना

भारत में कार्य करने वाले विदेशी बैंकों की सूची

क्रम संख्या	बैंक का नाम	स्थापना देश
1	एबी बैंक लिमिटेड	बांग्लादेश
2	अबू धाबी कमर्शियल बैंक लिमिटेड	यूएई
3	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन	अमेरिका
4	ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड बैंकिंग ग्रुप लिमिटेड	ऑस्ट्रेलिया
5	बार्कलेज बैंक पीएलसी	यूके
6	बैंक ऑफ अमेरिका	अमेरिका

विदेशी बैंक

- **विदेशी बैंक** वे बैंक हैं जो भारत से बाहर स्थापित किये जाते हैं और भारत में शाखाएँ या प्रतिनिधि कार्यालय खोलकर कार्य करते हैं। ये बैंक भारत में अपने कार्यों का विस्तार करते हैं ताकि ग्राहकों को सेवा प्रदान की जा सके, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके और वैश्विक वित्तीय संबंधों को मजबूत किया जा सके।
- वर्तमान में **स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक** भारत में कार्य करने वाले सबसे बड़े विदेशी बैंकों में से एक है जिसकी प्रमुख शहरों में महत्वपूर्ण उपस्थिति है।

7	बैंक ऑफ बहरीन और कुवैत बीएससी	बहरीन
8	बैंक ऑफ सीलोन	श्रीलंका
9	बैंक ऑफ चाइना	चीन
10	बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया	कनाडा
11	बीएनपी पारिबास	फ्रांस
12	सिटीबैंक एन.ए.	अमेरिका
13	कोऑपरेटिव रबोबैंक यू.ए.	नीदरलैंड
14	क्रेडिट एग्रीकोल कॉर्पोरेट और निवेश बैंक	फ्रांस
15	क्रेडिट सुइस ए.जी.	स्विट्ज़रलैंड
16	सीटीबीसी बैंक को. लिमिटेड	ताइवान
17	डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड	सिंगापुर
18	डॉयचे बैंक	जर्मनी
19	दोहा बैंक क्यू.पी.एस.सी.	कतर
20	एमीरेट्स एनबीडी	यूएई
21	फर्स्ट अबू धाबी बैंक पीजेएससी	यूएई
22	फर्स्ट बैंक लिमिटेड	दक्षिण अफ्रीका
23	एचएसबीसी लिमिटेड	हांगकांग
24	इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना	चीन
25	इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया	दक्षिण कोरिया
26	जे.पी. मोर्गन चेस बैंक, एन.ए.	अमेरिका
27	वीटीबी बैंक	रूस
28	केईबी हाना बैंक	दक्षिण कोरिया
29	कूकमिन बैंक	दक्षिण कोरिया
30	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक को. लिमिटेड	थाईलैंड
31	माशरेक बैंक पीएससी	यूएई
32	मिजुहो बैंक लिमिटेड	जापान

33	एमयूएफजी बैंक, लिमिटेड	जापान
34	नैटवेस्ट मार्केट्स पीएलसी	यूके
35	पीटी बैंक मेबैंक इंडोनेशिया टीबीके	इंडोनेशिया
36	कतर नेशनल बैंक (क्यू.पी.एस.सी.)	कतर
37	स्वरबैंक	रूस
38	एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड	मॉरीशस
39	शिनहान बैंक	दक्षिण कोरिया
40	सोसाइटी जनरल	फ्रांस
41	सोनाली बैंक लिमिटेड	बांगलादेश
42	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	यूके
43	सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन	जापान
44	यूनाइटेड ओवरसीज बैंक लिमिटेड	सिंगापुर
45	वेस्टपैक बैंकिंग कॉर्पोरेशन	ऑस्ट्रेलिया
46	वूरी बैंक	दक्षिण कोरिया

भारत के बैंक विदेशों में कैसे संचालित होते हैं

- भारतीय बैंक अपनी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को विभिन्न परिचालन संरचनाओं के माध्यम से बढ़ाते हैं।
- वे विदेशों में निम्नलिखित तरीकों से संचालन कर सकते हैं:
 - **प्रतिनिधि कार्यालय**
 - ✓ मुख्य रूप से संवाद और प्रचारात्मक गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाते हैं।
 - ✓ पूर्ण बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर सकते।
 - ✓ बाजार अनुसंधान और संबंध निर्माण में मदद करते हैं।
 - **शाखाएँ**
 - ✓ पूर्ण बैंकिंग संचालन की अनुमति होती है।
 - ✓ सीधे भारत स्थित मुख्य बैंक द्वारा नियंत्रित होती हैं।
 - ✓ जमा, ऋण, और अन्य बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती हैं।

- **पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ**
 - ✓ मेज़बान देश में स्थापित एक अलग कानूनी इकाई।
 - ✓ संचालन में लचीलापन और स्थानीय अनुपालन प्रदान करती हैं।
 - ✓ बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय संचालन के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं।
- **कॉरिस्पोंडेंट बैंकिंग संबंध**
 - ✓ विदेशी बैंकों के साथ गठबंधन।
 - ✓ व्यापार वित्त, रेमिटेंस, और सीमा-पार लेन-देन को सुविधाजनक बनाते हैं।
 - ✓ भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती।

सहकारी बैंक

- सहकारी बैंक वे वित्तीय संस्थान हैं जो सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 (या संबंधित राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम) के तहत पंजीकृत होते हैं।
- इन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और सहकारी सोसाइटी पर बैंकिंग कानून (आवेदन) अधिनियम, 1965 के तहत विनियमित किया जाता है।
- लाभ के उद्देश्य से कार्य करने वाले वाणिज्यिक बैंकों के विपरीत सहकारी बैंक “न लाभ, न हानि” के सिद्धांत पर काम करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य आपसी सहायता और सदस्यों का कल्याण है, न कि अधिकतम लाभ कमाना।
- ये बैंक सदस्यों के मध्य सहयोग के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कुछ सहकारी बैंकों को मोबाइल वॉलेट्स जैसे प्रीपेड भुगतान उपकरण (PPIs) जारी करने की अनुमति दी है, बशर्ते उनके पास पहले से एटीएम स्थापित करने और डेबिट कार्ड जारी करने की अनुमति हो।

सहकारी बैंकों की संरचना

- सहकारी बैंक तीन स्तरों पर कार्य करते हैं:
 1. राज्य सहकारी बैंक
 2. जिला (केंद्रीय) सहकारी बैंक
 3. प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS)

सहकारी बैंकों के कार्य

- **शहरी क्षेत्रों में**
 - ✓ छोटे व्यवसायों और शहरी उद्यमियों को वित्त प्रदान करना
 - ✓ लघु उद्योगों का समर्थन करना
 - ✓ स्व-रोज़गार को बढ़ावा देना
 - ✓ आवास और शिक्षा ऋण प्रदान करना
- **ग्रामीण क्षेत्रों में**
 - ✓ कृषि गतिविधियों जैसे खेती को वित्त प्रदान करना
 - ✓ पशुपालन और डेयरी फार्मिंग का समर्थन करना
 - ✓ मछली पालन जैसी सहायक गतिविधियों के लिए वित्त प्रदान करना

गैर-अनुसूचित बैंक

- **गैर-अनुसूचित बैंक** वे बैंक होते हैं जो **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934** की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं होते।
- वे बैंक जिनकी पेड-अप या चुकता पूंजी और आरक्षित निधि ₹5 लाख से कम होती है, आमतौर पर गैर-अनुसूचित बैंकों के तहत आते हैं।
- अनुसूचित बैंकों के विपरीत, गैर-अनुसूचित बैंक RBI से नियमित रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होते। उन्हें केवल असाधारण या आपातकालीन परिस्थितियों में ही RBI से सहायता मिल सकती है।

KYC: अपने ग्राहक को जानें

- **KYC** एक अनिवार्य प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बैंक और वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों की पहचान और पता सत्यापित करते हैं।
 - ✓ 2002 में RBI द्वारा पेश किया गया
 - ✓ 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ
 - ✓ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत जारी किया गया
- **KYC** यह सुनिश्चित करता है कि बैंकिंग सेवाओं का दुरुपयोग अवैध गतिविधियों के लिए नहीं किया जाए।
- **नियतकालिक KYC अपडेट**
 - ✓ उच्च-जोखिम वाले ग्राहक → हर 2 साल में
 - ✓ मध्य-जोखिम वाले ग्राहक → हर 8 साल में
 - ✓ निम्न-जोखिम वाले ग्राहक → हर 10 साल में